राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या— 624/2017/जयपुर अपील संख्या— 625/2017/जयपुर अपील संख्या— 626/2017/जयपुर अपील संख्या— 628/2017/जयपुर अपील संख्या— 628/2017/जयपुर अपील संख्या— 629/2017/जयपुर अपील संख्या— 630/2017/जयपुर अपील संख्या— 631/2017/जयपुर अपील संख्या— 632/2017/जयपुर अपील संख्या— 633/2017/जयपुर अपील संख्या— 634/2017/जयपुर अपील संख्या— 635/2017/जयपुर अपील संख्या— 635/2017/जयपुर

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, संभाग—प्रथम, जयपुर बनाम् मै० तिरूपति प्लास्टोमेटिक्स प्रा.लि., बी—14ए, रोड़ नं0—9, वी.के.आई.एरिया, जयपुर

....अपीलार्थी.

अपील संख्या— 2735/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2736/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2737/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2738/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2740/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2741/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2742/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2744/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2744/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2746/2016/जयपुर
अपील संख्या— 2746/2016/जयपुर

मै0 तिरूपति प्लास्टोमेटिक्स प्रा.लि., बी—14ए, रोड़ नं0—9, वी.के.आई.एरिया, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, संभाग—प्रथम, जयपुर

....अपीलार्थी..

....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री नत्थूराम, सदस्य श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.वैद, उप राजकीय अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक

..... राजस्व की ओर से

......व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

am

लगातार.....2

M

निर्णय

- 1. अपील सं. 624/2017 से 635/2017 (12 अपीलें) अपीलार्थी—राजस्व द्वारा एवं अपील सं. 2735 से 2746/2016 (12 अपीलें) व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी—तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या क्रमशः 335 से 346/अपील्स—तृतीय/आरवीएटी/ई/जयपुर/2015—16 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 23.11.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, प्रतिकरापवंचन, संभाग—प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक—पृथक आदेश दिनांक 12.02.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा, की धारा 25,55 व 61 द्वारा कायम की गयी कर, ब्याज को यथावत रखते हुए, शास्ति को अपास्त किया एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अपीलों को आंशिक स्वीकार किया गया।
- 2. उपरोक्त राजस्व एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों में विवादित बिन्दु एक समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने के कारण, इनका निष्पादन एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक—पृथक रखी जावेगी।
- प्रकरणों के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि व्यवहारी कम्पनी के अवधि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 व 2012-13 हेतु मूल क निर्धारण आदेश कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम,1956 की धारा 9 संपठित अधिनियम,2003 की धारा 25, 55 व 61 के तहत दिनांक 13.02.2013 को पारित किये गये है, जिनकी अपील व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, जयपुर के यहां की गई। अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय जयपुर द्वारा दिनांक 19.02.2014 को आदेश पारित करते हुए, प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। प्रतिप्रेषित अपील आदेश दिनांक 19.02.2014 की पालना में पुनः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 12.02.2016 को अलग-अलग कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज व शास्ति व्यवहारी के विरुद्ध आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध, अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गई जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा संयुक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.11.2016 द्वारा आंशिक स्वीकार करते हुए कर व ब्याज को यथावत रखा तथा शास्ति अपास्त की। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश के विरूद्व राजस्व द्वारा शास्ति के बिन्दु (अपील संख्या 624/2017 से 635/2017)एवं व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर (अपील संख्या 2735/2016 से 2476/2016) विचाराधीन द्वितीय अपीलें प्रस्तत की गई हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :--

큙.	राजस्व द्वारा	व्यवहारी	वर्ष	आदेश	कर	ब्याज	शास्ति	विवादित
सं.	प्रस्तुत अपील सं.	द्वारा प्रस्तुत अपील सं.		दिनांक				कुल राशि
1.	624/2017	2741/2016	2007-08	12-02-16	213063	203475	426126	842664
2.	625/2017	2742/2016	2008-09	12-02-16	59469	49657	118938	228064
3.	626/2017	2743/2016	2009-10	12-02-16	22053	15768	44106	81927
4.	627/2017	2738/2016	2010-11	12-02-16	34176	20334	68352	122862
5.	628/2017	2746/2016	2012-13	12-02-16	45612	16192	91224	153028
6.	629/2017	2736/2016	2008-09 (CST)	12-02-16	563339	470386	1126678	2160403
7.	630/2017	2737/2016	2009-10 (CST)	12-02-16	933997	667829	1867994	3469820
8.	631/2017	2744/2016	2010-11 (CST)	12-02-16	582614	346656	1165228	2094498
9.	632/2017	2739/2016	2011-12 (CST)	12-02-16	814002	386651	1628004	2828657
10.	633/2017	2740/2016	2012-13 (CST)	12-02-16	249020	78441	498040	825501
11.	634/2017	2745/2016	2011-12	12-02-16	25684	12200	51368	89252
12.	635/2017	2735/2016	2007-08 (CST)	12-02-16	552282	527428	1104564	2184274

ow

बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. व्यवहारी विद्धान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने उपरोक्त वर्षों से संबंधित प्रत्येक अनुबंन्ध व निविदा शर्तों की सम्पूर्ण जांच किये बिना वर्णित विवादित आदेश पारित किये है। व्यवहारी कम्पनी ने निविदा प्रपत्र एवं सप्ला अनुबन्ध की शर्तों के तहत माल की सप्लाई की है। विद्धान अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी ने अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार फ्रेट एवं इंश्योरेन्स को पृथकशः अंकित करते हुए माल की सप्लाई का अनुबन्ध किया है। निविदा व अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार व्यवहारी कम्पनी ने माल की सप्लाई अलग दर से की है तथा अन्य दरों के अनुसार डिलीवरी, फ्रेट, इंश्योरेन्स चार्ज को क्रेता फर्म से प्राप्त किया है जो कर योग्य बिक्री के भाग का नहीं है इसलिए इन राशियों पर कोई कर वसूल नहीं किया है। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम,2003 की धारा 2(36) के एक्सप्लेनेशन—॥। के अनुसार उक्त खर्च बिक्री मूल्य में शामिल नहीं किये हैं क्योंकि व्यवहारी फर्म ने इनके अपने सप्लाई शर्तों में पृथकशः दिखाये है इसलिए इन राशियों को क्रेता के बिहाफ पर प्राप्त करने के कारण बिलों में कर योग्य आवर्त में घोषित नहीं किया है। इसी के साथ विक्रय मूल्य को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा में 2(h) में निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:—

"Sale price" means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for any thing done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delievery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged.

[Provided that in the case of a transfer of property in goods (whether as gods or in some other form) involved in the excecution of a works contract, the sale price of such goods shall be determined in the prescribed manner by making such deduction from the total consideration for the works contract as may be prescribed and such price shall be

deemed to be the sale price for the purpose of the clause,]

व्यवहारी ने अपना लिखित जवाब वेट के नोटिस की पालना में कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने न तो अनुबंधों पर और न ही उनकी शर्तो पर कोई ध्यान दिया और न ही उनके बारे में कोई जांच की तथा न ही विपरीत पाये तथ्यों की प्रतिरक्षा हेतु व्यवहारी को जांच प्रति देकर प्रतिरक्षा का मौका दिये, बिना सुनवाई किये एवं व्यवहारी का पक्ष सुने बिना एकतरफा क निर्धारण आदेश दिनांक 12.02.16 को पारित किया गया। इस प्रकार व्यवहारी की ओर से दिनांक 12.02.16 को कर निर्धारण अधिकारी ने न तो समस्त निविदा शर्ती, अनुबन्ध की शर्तो तथा अभिलेख की पूर्ण जांच की और न ही ऐसी कोई जांच रिपोर्ट व्यवहारी को उपलब्ध करायी जिससे उनके करारोपण का औचित्य प्रमाणित होता हो। व्यवहारी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा बहस को आगे बढाते हुए कथन किया कि कर माल के ऊपर है न कि सेवाओं के ऊपर। इसके समर्थन में भारतीय संविधान की अनुसूची-7 की सूची 1 की प्रविष्टि संख्या-92 सी की ओर ध्यान आकर्षित किया कि फ्रेंट माल नहीं है यह वह सेवा है जो कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा दी जाती है। व्यवहारी केवल ट्रांसपोर्टर तक मार भेजकर क्रेता व्यवहारी की शर्तों की पालना करता है। साथ ही कथन किया कि फ्रेट के ऊपर सर्विस टैक्स का भुगतान किया जाता है तथा सर्विस टैक्स की रिटर्न भी कानून के अनुसार भरी जाती है, जिनकी कुछ प्रतियाँ वक्त बहस प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय बीएसएनएल एण्ड अदर बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एण्ड अदर 145 एसटीसी 91 (उच्चतम न्यायालय) व अन्य निर्णय आईडिया सेलूलर मोबाईल कम्पनी का हवाला दिया जिनमें निर्णित किया गया है कि सेवा पर सेवा

कर के बाद उस पर वेट/सीएसटी नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि सर्विसेज पर राज्य सरकार को कर वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः फ्रेट पर वेट/सीएसटी लगाया जाना असंवैधानिक है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान की अनुसूची—7 की सूची—2 की प्रविष्ठि सं 54 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जिसके द्वारा राज्य सरकार केवल माल की बिक्री पर कर वसूल कर सकती है। यह प्रविष्ठि निम्न प्रकार है:—

54 Taxes on the sale or purchase of goods other than newspapers, subject to provisions of entry 92A of list 1

इसके अतिरिक्त यह भी कथन किया टैक्सेबल टर्नओवर धारा 2(40) के अनुसार जिन मदों पर कर नहीं लगता है उनको घटाने के बाद जो मूल्य बचता है उसकी पर कर वसूल किया जा सकता है। नियम 22 के द्वारा घटने वाली मदों का विवरण दिया गया है जिसकी मद संख्या 1 के अनुसार स्पष्ट है कि जिन पर इस अधिनियम के तहत कर नहीं लगता है, वह घटायी जायेगी। इसके अनुसार स्पष्ट है कि सर्विस टैक्स राज्य सरकार के द्वारा नहीं वसूल जा सकता है। अतः बिक्री मूल्य में से सर्विस चार्ज घटा कर जो मूल्य आता है उसी पर कर वसूल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी उद्धरित किया कि वाणिज्यिक कर अधिकारी ने जो निर्णय उद्धरित किये हैं वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कानून के तहत किये गये हैं जिसकी धारा 4 में स्पष्ट है कि फ्रेट उत्पाद शुल्क कर योग्य मूल्य का भाग है जबकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 2(एच) के अनुसार Cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged है। इन्होंने आगे कथन किया कि ब्याज का आरोपण कर की मात्रा निर्धारित होने के पश्चात किया जाना चाहिए जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 94 एसटीसी 422 व माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 62 वीएसटी 439 में अवधारित किया है। उन्होंने धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अविधिक बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई फ्रेट एवं इंश्योरेन्स राशि को अपनी लेखा पुस्तकों में घोषित किया गया है। किसी भी संव्यवहार को छुपार नहीं गया है। प्रकरण फ्रेट एवं इंश्योरेन्स चार्जेज पर कर के आरोपण के बिन्दू से संबंधित है। अपीलार्थी की कर चोरी की कोई मानसिकता नहीं थी। इन्होंने शास्ति आरोपण को अविधिक बताया तथा इस बिन्दु पर राजस्व की अपीलें अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। साथ ही व्यवहारी के विद्धान अभिभाषक ने विकल्प में यह भी कथन किया कि केन्द्रीय विक्रय कर 1956 के तहत की गई बिक्री में फ्रेट की राशि पर अतिरिक्त करारोपण पूर्ण कर कर दर से किया गया है जबकि उन बिलों में विक्रय राशि के घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत होने से उस राशि पर 2 प्रतिशत से ही करारोपण किया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है। अतः यदि फ्रेंट की राशि पर यदि कर देयता मानी भी जाये तो उस स्थिति में सम्बन्धित बिलों के प्राप्त 'सी' फार्म के आधार पर उस राशि पर धारा 8(1) of CST Act के अनुसार करारोपण करने का निर्देश दिये जावें। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने (1979) 43 STC 13 Hindustan Sugar Mills Ltd. Vs State of Rajasthan and others and J.K.Synnthetics Ltd Vs Commercial Tax Officer Kota, (1994) 2 STO 384 Mewar Khaniz Udyog Vs Commercial Taxes Officer A.E. Udaipur, (2008) 21 Tax Update 358 Commercial Taxes Officer Jodhpur Vs M/s Indian Rayon and Industries Ltd., (2015) 12 RGSTR 307 CTO A.E. Udaipur Vs M/s Abde Ali S. Kurabadwala, 117 STC 413 State of Karnataka and Another Vs Banglaore Soft Drinks Pvt. Ltd., 101 STC 280 State of Tamil Nadu Vs LLoyed Sales Corporation; 113 STC 117 Modi Industries Ltd. Vs Commissione of Sales Tax, U.P.; 114 STC 564 Hyderabad Asbestos Cement Products Vs Commissioner of Sales Tax, U.P.; (1999) 115 STC 629 Ram Oxygen Pvt. Ltd Vs Joint Commissioner (SMR) of Commercial Taxes; (2000) 118 STC 132 State of Tamilnadu Vs Sree Kamaraj Waste Paper Store; 20 Tax World 253 ACTO Vs Paliwal Brothers & Engineers; 18 TUD

em

245 CTO Vs M/s Ranjan Polyster Ltd. Bhilwara; 20 TUD 335 CTO Udaipur V/s M/s Rajasthan Syntax Ltd. Udaipur; TUD Vol. 48 Part I CTO A.E. Sriganganagar V/s M/s Varun and Company, Sriganganagar; (2011) 38 VST 484 (Uttara) Sanjay Agarwal Vs Commissioner of Trade Tax; Decision passed by Hon'rable Rajasthan High Court, Jaipur Bench in SB Sales Tax Petition No. 262/2008 Asstt. Commissioner Special Cicrcle, Commercial Taxes Jaipur Vs M/s Rajasthan Cylinders and Containers Ltd. Jaipur Dated. 08-01-2015; Decision passed by Hon'rable Rajasthan High Court, Jaipur Bench in SB Sales Tax Revision Petition No. 317/2008 M/s R.S. Industries (Rolling Mill) Ltd. Jaipur Vs Commercial Taxes Officer, Special Circle Jaipur Dated 23.11.2016 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

- 6. विद्धान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का अनुरोध किया। इन्होंने अपने समर्थन में State of Andhra Pardesh V/s A.P. Paper Mills Ltd. Judgment D: 3-01-2005, SC; India Meters Ltd. V/s State of Tamil Nadu 2010 TIOL-69-SC-CT; Greaves Chitram Limited V/s State of Tamil Nadu (2003) 133 STC एवं M/s Indian Oil Corporation V/s Asst. Commissioner Commercial Tax, Rajasthan High Court Bench-Jaipur Judgment Dt. 20-03-2015 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।
- 7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-
- 8. विचाराधीन प्रकरणों में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि फ्रेट व इंश्योरेन्स चार्जज विक्रय मूल्य का भाग माना जाकर करारोपण किया जावे या ये विक्रय मूल्य का भाग नहीं है जिससे करारोपण नहीं किया जा सकता।
- 9. इस संबंध में सर्वप्रथम संबंधित विधिक प्रावधानों पर विचार किया जाता है। इस संबंध में अधिनियम 2003 की धारा 2(36), 2(40), 2(41), राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम 2006 (जिसे आगे कर नियम 2006 कहा जायेगा) के नियम 22 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे बिक्री कर अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 2(h) का उल्लेख करना समीचीन है:—
- 2(36) "sale price" means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutor levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

Explanation I. – In the case of a sale by hire purchase agreement, the prevailing market price of the goods on the date on which such goods are delivered to the buyer under such agreement, shall be deemed to be the sale price of such goods;

Explanation II. – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

Explanation III. – Where according to the terms of a contract, the cost of freignand other expenses in respect of the transportation of goods are incurred by the dealer for or on behalf of the buyer, such cost of freight and other expenses shall not be included in the sale price, if charged separately in the invoice;

2(40)"taxable turnover" means, that part of turnover, as may be determined after making such deductions from the total turnover as may be prescribed on which a dealer shall be liable to pay tax under this Act;

2(41) "turnover" means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub-



section (2) of section 4 "but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

- 22. Determination of taxable turnover. (1) For the purpose of determining the taxable turnover for levying tax under sub-section (1) of section 4 of the Act, the following amounts shall be deducted from turnover,
 - (a) on which no tax is leviable under the Act;
 - (b) which has been exempted from tax;
- (c) the sale price of the goods returned to the dealer by the purchaser within a period of six months from the date of VAT invoice thereof.
- (d) The sale price of the goods consigned by the principal to the agent where such sale is covered by Form VAT-35, VAT-36 and VAT-36A.
- (2) In case of a works contract, while determining the taxable turnover apart from the deductions provided under sub-rule (1), the amount of labour shall also be deducted from the total value of the contract.

Explanation, Where the amount of labour is not determinable from the accounts of a contractor, or is considered to be unreasonably high in view of the nature of the contract, the deduction towards labour charges shall be allowed by the assessing authority according to the limits laid down in Column 3 for the type of contract specified in Column 2 of the Table appended hereto....

- (2A) In case of a works contract, where a works contractor exercises option of exemption fee under a notification issued under sub-section (3) of section 8, awards whole or part of such contract to a sub-contractor, while determining the taxable turnover subcontractor apart from deduction provided under sub-rule (1), the turnover of transfer of property in goods involved in execution of such sub-contract, shall be deducted.
- (3) The computation of purchase price, if any, for levying tax under sub-section (2) of section 4 of the Act, shall be made in accordance with clause (28) of section 2, and the same shall be added in the taxable turnover of the dealer.
- (4) The sale price of the goods sold by the commission agent on behalf of his principal registered under the Act, shall be added in the taxable turnover of the principal.
- (5) The amount of cess levied by the State Government for specific purposes, shall be deducted for determination of taxable turnover.
- 2(h) "sale price" means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;

PROVIDED that in the case of a transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract, the sale price of such goods shall be determined in the prescribed manner by making such deduction from the total consideration for the works contract as may be prescribe and such price shall be deemed to be the sale price for the purposes of this clause.;

- 10. अब प्रकरणों में क्रय आदेशों व उनमें वर्णित शर्तो पर विचार किया जाता है।
- 11. अपील सं. 2741/2016 (624/2017)— क्रय आदेश सं. पीओ नं. 3591 दिनांक

27.08.2007

an-

1. Schedule of Material & Prices :-

S. N O	Particulars	Qty in Kms	Ex- words price per km (in Rs.)	Central Excise Duty@ 16.48% (incl cess@3%) in Rs.	Vat@4% against concession al form (in Rs.)	F&I Charges per km. (in Rs.)	Unit all adjusted F.O.R.D. in Rs.	Total all adjusted F.O.R.D price in Rs.
1	PVC insulted Unarmoured Cu. Control cable size 4CX2.5 sq mm suitable for working voltages upto and including 1100V conforming to IS 1554(Pl-I)/1988 with latest amendments "& as per specification TM-2775	12	42504.70	7004.78	1980.38	1000.00	52489.86	629878.32
	TOTAL							629878.32

2. Prices: The ex-works prices are inclusive of packing and forwarding charges but exclusive of central excise duty, VAT & Freight charges. The ex-works prices mentioned in clause No. 2 above are variable with base date 01.03.07 without any ceiling. The supplier shall ensure that the material will be despatched duly Insured.

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तों के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपोंटेशन व इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माह्य पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

12. अपील सं. 2742 / 2016 (625 / 2017)— क्रय आदेश सं. पीओ 2704 दिनांक 01. 07.2008

1. Schedule of Material & Prices :-

S.No.	Particulars	Qty. (Kms)	All Adjusted Unit F.O.R. Dest. Price(Rs.)/Km.	Total Amount (Rs.)
1	Aluminum conductor			•••
a	ASCR			
				2,77,52,000

2. Prices: The prices as mentioned above are all adjusted FOR destination price inclusive of packing and forwarding charges, excise duty, VAT, freight and insurance. The Prices are variable based on.....

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तो के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपींटेशन व इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

13. अपील सं. 2743 / 2016 (626 / 2017)— क्रय आदेश सं. डी 2585 दिनांक 07. 08.2009

1. Schedule of Material & Prices :-

S. No.	Particulars of material	Qty. in Meter	Total FOR Price
1.	1100 Volt grade	11111	
2.	650/1100 V grade	685	71130.40
i	10 C x 1.5 mm2 Screen Cable		
	>		49,99,529.05

em

2. Prices, Taxes & Duties: The abvoe prices are incusive of packing & forwarding charges, all taxes and duties, Freight & Insurance etc. The Prices shall be applicable at the time of delivery, lower of the prices worked out on the basis of price variation as per IEEMA base date 01.01.09 & the price quoted in the offer as above (ex works)......

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तो के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपीटेशन त इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

14. अपील सं. 2738 / 2016 (627 / 2017)— क्रय आदेश सं.पीओ 5182 / डी—6157 दिनांक 30.11.10

1. Schedule of Requirement with Prices:-

S. N.	Particulars	Quantity	Unit Ex-works Price in Rs per Km		*
1	LT XLPE Insulated	75	25413.81	29713.00	2228475.00

2. Prices, Taxes & Duties: The prices as mentioned above are all adjusters. FOR destination price inclusive of packing and forwarding charges, excise duty, VAT, freight and insurance for deliever of material at Nigam's stores. The prices are VARIABLE with base date 01.06.2010

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तो के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपीटेशन व इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

15. अपील सं. 2746/2016 (628/2017)—क्रय आदेश सं. पीओ 6095/ दिनांक 09.03.2012

1. Schedule of Requirement with Prices:-

S. No		Quantity In Kms	Unit Ex-works Price n Rs per Km	Unit f.o.r Price in Rs. Per Km	Total f.o.r. Amunt In Rs.
1.	3 Core Aluminium				16,03,769.97

2. Prices, Taxes & Duties: The prices as mentioned above are all adjusted FOR destination price inclusive of packing and forwarding charges, excise duty, VAT, freight and insurance for deliever of material at Nigam's stores. The prices are VARIABLE with base date 01.04.2011

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तो के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपींटेशन व इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

16. अपील सं. 2736 / 2016 (629 / 2017) —क्रय आदेश सं. डीएच—594 / दिनांक 25.02.2008

1. Schedule of Requirement with Prices :-

S. No	Size of LT PVC Cable as per Nigam's Specification, duly ISI marked and as per relevant IS-1554/Part- 1/1998 with latest amendment/addition	Quantity In Kms	Firm & FOR destination price (inclusive of taxe, duties, levies, F&l etc.)per km	Total Amount
1.	LT PVC			
				1,41,31,250

vn-

लगातार.....9

2. Prices, Taxes & Duties :- The prices are FIRM, FOR destination and all inclusive.

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार सप्लाई संविदा के अनुसार FOR Destination पर माल डिलीवर करना, Transit risk व्यवहारी कम्पनी की होने व माल गन्तव्य स्थल पर पहुँचने पर इन्सपेक्शन में आदेशानुसार माल पाये जाने पर ही माल बिक्री हुआ माना जायेगा एवं इससे पहले बिक्री पूर्ण नहीं होगी, की शर्ते है। 17. अपील सं. 2737/2016 (630/2017)— क्रय आदेश सं. 9169/एमटी/257/दिनांक14.11.08

1. Price & Quantities :-

S. N.	Name of Material & Size	Quantity (Km)	Ex-works (Variable) Prices (Rs./K.m.)	Total value of Ex works price
1.	(3X95+1X70+aX16) mm ²	200	1,80,100.06	3,60,20,012

2. Prices: The above rates shall be Variable with Base date: 01.08.08 as per CACMAI price circualr during currency of contract.

3. Trasportation Order :- No- 9170 दिनांक 14.11.2008

S. N.	Description of Material	Quantity order (Km)	forwarding freight & insurance rates (Rs/Km.)	Total value of order
1.	(3X95+1X70+aX16) mm ² LT ABC	200	3700.00	7,40,000.00

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार सप्लाई संविदा के अनुसार FOR Destination पर माल डिलीवर करना, Transit risk व्यवहारी कम्पनी की होने व माल गन्तव्य स्थल पर पहुँचने पर इन्सपेक्शन में आदेशानुसार माल पाये जाने पर ही माल बिक्री हुआ माना जायेगा एवं इससे पहले बिक्री पूर्ण नहीं होगी, की शर्ते है। 18. अपील सं. 2744/2016 (631/2017)— नं. 836/ दिनांक 27.04.2010

1. Schedule I Price & Quantities :-

S. N.	Descri ption of Material	Qty in KM	Unit ex- works pric inlcusive of packing & forwarding charges Rs/Km	Per unit freight charges	Per unit FOR destinatin prcie inclusive of packing, forwarding & freight charges but exclusive of taxes and duties	Rate	per	Amount
1.	ISI Marked 1100 Volt grade							- Ew _a y
						1200		32,32,167.63

2. Prices and quantity: (a) The item, quantity, price (s) and amount of order are detailed in the enclosed Schdule-I

(b) The accepted ex-works price(s) including packing & forwarding are Variable as per Price Variaton foundula detailed in Annexured-VI with base date 01-12-2009. The freight shall be fixed and paid at the rate indicated in schedule-I for delivery at any of the Stores at Jabalpur Sagar, Satna, Chhindwara and Chhatarpur in MP.

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार सप्लाई सुविधा के अनुसार माल की सप्लाई Freight paid basis पर है, बीमा विक्रेता द्वारा कराने की शर्त है तथा माल पहुचने के पश्चात यदि माल में कोई कमी पाई जाती है तो उसे विक्रेता खर्च पर रिपेयर या रिप्लेस की शर्त्र है।

लगातार.....10

- 19. अपील सं. 2739 / 2016 (632 / 2017) क्रय आदेश सं. 9647 दिनांक 28.07.11
 Punjab State Power Corporation Ltd. के इस क्रय आदेश के बिन्दु सं. 13 व 19
 - 13. Insurance:-
- insurance charges hence it is the responsibility of the supplier to deliver the goods in sound condition FOR Destination and for that purpose the supplier should get insured the material against all risks at his own cost during trasit for full delivered value of the material upto destination. all works in connection with making and settling of claims, if any, with transport authorities and/or insurance company shall be carried out by the supplier for which no extra payment shall be make by the Corporation. However, necessary assistance required in connection with making and settling of such claims, if any, shall be provided by the consignees.
- ii). All damages and/or shortages during transit as covered by the insurance shall be made good immediately on receipt of such information from the consignee without waiting for settlement of claims. However, in case of apparent damages and/or shotage the consignee shall contain the loss/damage certificate form the Transport Authorities and send the same to the supplier within the period of thrity days from the date of receipt of material. A Certificate shall be submitted by the suplier with each bill to the effect that the material has been duly affected.
- iii). The Consignee shall report losses and damages to the firm within 30 days of the arrival of the material/equipment at the site. It will, however be the suppliers responsibility to prefer timely claims on the insurance underwriters and to arrange replacement thereof to the consignee.
- iv). The supplier shall be wholly responsible for the loss, shortage and damage etc during transit. such shortages and damages etc will have to be replaced by the supplier free of cost immediately without waiting for maturing of supplier's claims within Road, rail trasport Authority/Insurance under writers.
- v). In case replacement/repair of defective material is not carried out within six months of intimation of damges, supplier shall have to pay interest at the rate of 12% per annum on the advance payment made by Punjab State Power Corp. from the date of its payment up the date of recommissioning of the equipment after replacement/repair or upto the date on which the default is made good.

19. Replacement And Rejection of Defective Material

In case the supplier fails to replace the defective material including transit damage within six months from the date of intimation of defects, the supplier shall have to pay interest @12% per annum on the value of defective material from the of receipt of advance payment/date of its becoming defective upto the date of replacement/repair.

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार संविदा शर्तों के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपींटेशन व इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है। 20. अपील सं. 2740/2016 (633/2017)— क्रय आदेश सं. 402/दिनांक 07.02. 2012 इस क्रय आदेश का बिन्दु संख्या 5.2, एनेक्चर—I व एनेक्चर—II निम्न प्रकार है :-

5.2 Accepted prices for supply of PVC and ABXLPE cable are on F.O.K. destination basis with the condition that all the PVC and ABXLPE cable and materials shall be transported by road transport duly insured during transit and also for unloading and delivery at area Store entirely at your cost. Cost of PVC and ABXLPE cable are inclusive of packing and forwarding charges. It should be ensured that all PVC and ABXLPE cable shall be wound in nonreturnable drums as per technical specification clause no. 9 and 10 of the Bid document. Ex-works costs & of freight and insurance charges have separately been brought out in Annexure-I & II attached with this contract.

A

Annexure-I

Schedule of Prices and Quantities for PVC and ABXLPE cable

S. No.	Description	Quantity (in Km)	Unit EXW rate (Rs).	Totl EXW Price (In Rs.)
1.	1100 volts Grde			*
-				79881498

Annexure-I I

Schedule of cost of road transport, cost of tansit insuance and costof unloading of PVC and ABXLPE cable at Area Stoes covered uner "related services" for allitems covered in Annexure I.

S. No.	Description	Quantity (in Km)	Unit EXW rate (Rs).	Totl EXW Price (In Rs.)
1.	1100 volts Grde			
-				1997042.55

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तों के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपींटेशन इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

21. अपील सं. 2745 / 2016 (634 / 2017)— क्रय आदेश सं. पीओ 6025 / दिनांक 01.09.2011

1. Schedule of Requirement with Prices:-

S. No	Particulars	Quantity In Kms	Unit Ex-works Price in Rs per Km	Total f.o.r. Amount In Rs.	
1.	3 Core Aluminium Conductor			 99,06,393.40	

2. Prices, Taxes & Duties: The prices as mentioned above are all adjusted FOR destination price inclusive of packing and forwarding charges, excise duty, VAT, freight and insurance for deliever of material at Nigam's stores. The prices are VARIABLE with base date 01.04.2011

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार General condition of Contract (G.C.C) की शर्तों के अनुसार FOR Destination तक पैकिंग, ट्रांसपीटेशन व इंश्योरेन्स की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता व्यवहारी की है तथा गन्तव्य स्थान तक मार् पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

22. अपील सं. 2735/2016 (635/2017)— क्रय आदेश सं. डीएच 594/ दिनांक 25.02.2008

1. Schedule of Requirement with Prices:-

S. N.	Size of LT PVC Cable as per Nigam's Specification, duly ISI marked and as per relevant IS-1554/Part- 1/1998 with latest amendment/additin	Quantity In Kms	Firm & FOR destination price (inclusive of taxe, duties, levies, F&l etc.)per km	Total Amunt
1.	LT PVC			
•••				1,41,31,250

V

लगातार......12

2. Prices, Taxes & Duties:-The prices are FIRM, FOR destination and all inclusive.

कर निर्धारण अधिकारी के विचाराधीन आदेश के अनुसार संविदा शर्तों के अनुसार FOR Destination क्रेता की साईट पर माल पहुँचाने तक माल का स्वामित्व विक्रेता का है तथा गन्तव्य तक माल पहुँचाने की समस्त जोखिम विक्रेता की है।

- 23. अधिनियम 2003 की धारा 2(36) के अनुसार विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय मूल्य में वह प्रतिफल राशि शामिल है जो वस्तु के बदले प्राप्त की जाती है व इसमें किसी भी प्रकार का वैधानिक शुल्क या कोई भी ऐसा शुल्क जो माल के संबंध में कार्य या सेवा करने के बदले में माल की डिलीवरी देने या डिलीवरी देने से पूर्व प्राप्त किया जाता है। इस परिभाषा के स्पष्टीकरण III के अनुसार यदि संविदा शर्तों के अनुसार फ्रेट व ट्रांसपींटेशन के संबंध में किसी राशि का व्यय विक्रेता व्यवहारी द्वारा केता के बिहाफ पर किया जाता है तथा इन्वोईस में अलग से वसूला जाता है तो ऐसी राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी। इस परिभाषा का सामान्य अर्थ यह है कि यदि कोई क्रेता सामान क्रय करने के पश्चात् विक्रेता व्यवसायी इन्वाईस में फ्रेट व इंश्योरेन्स आदि की वसूली करता है तो ऐसी राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी। केन्द्रीय बिक्रीय कर अधिनियम की धारा 2(h) के अनुसार भी विक्रय मूल्य का सामान्य अर्थ उपरोक्तानुसार ही है।
- 24. समस्त अपीलों में कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में अंकित विवरण के अनुसार संविदा शर्तो / कार्यादेशों की शर्तो से निम्न स्थिति बनती है :-
- (i). F.O.R. डेस्टिनेशन पर माल डिलीवर करना।
- (ii). क्रेता की साइट पर माल पहुँचाने की जो "समयावधि" है, उसमें माल का स्वामित्व विक्रेता का है, तथा गन्तव्य तक इस समयावधि में माल पहुँचाने तक समस्त संभावित जोखिम भी विक्रेता का ही है अर्थात् जिसे 'ट्रांजिस्ट रिस्क' कहते हैं, वह विक्रेता की है, न कि क्रेताओं की। अर्थात् ट्रांजिस्ट की उक्त कथित "समयावधि" में माल की कोई क्षति होती है, तो उसकी परिणामी जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, न कि क्रेता की।
- (iii). गन्तव्य स्थान पर माल पहुँचाने पर टेस्टिंग / इंस्पेक्शन पर यदि माल क्रेता के आदेश / शर्तों के अनुसार Specific मानकों का न हो, अथवा स्तरीय न हो, तो विक्रेता वापिस माल उठा लेगा। अर्थात गन्तव्य जक पहुँचने की समयावधि के साथ—साथ हो उस क्रम में जब टेस्टिंग / इंस्पेक्शन का कार्य संतोषजनक होने तक पूरा होगा, उसके बाद "ही" क्रेता माल प्राप्त करेगा, स्वामित्व क्रेता पर शिफ्ट होगा—अर्थात् इस स्टेज विशेष पर 'ही' माल बिक्री हुआ माना जाएगा।
- 25. अधिनियम 2003 व केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में प्रदत्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के आलोक में परीक्षण किया जाये तो इन प्रकरणों में चूंकि माल की डिलीवरी FOR Destination है, Delivery तक Transit Risk विक्रेता की है व माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण क्रेता की साइट पर पहुँचने पर टेस्टिंग के पश्चात् है तो यह समस्त कार्य या सेवा माल की डिलीवरी तक विक्रेता द्वारा सम्पादित किया जा रहा है जिससे इसर संबंधित समस्त राशि विक्रय मूल्य का भाग मानी जानी चाहिए।
- 26. उक्त समस्त प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा माल का विक्रय करने के जो अनुबंध किये गये हैं, उनमें विक्रय मूल्य की राशि क्रेता के स्थान पर डिलीवरी होने तक के समस्त खर्चों सहित प्राप्त किया जाना तय किया गया है। ऐसी स्थिति में विक्रय बिलों में फ्रेट की राशि को अलग से दर्शाये जाने मात्र से फ्रेट की राशि को विक्रय मूल्य का अंश नहीं मानकर उस राशि पर करारोपण नहीं करने के तर्क को खारिज किया है।

- 27. उक्त विवादित बिन्दु के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए यह कथन किया गया है कि इन निर्णयों में यह अवधारित किया गया है कि फ्रेट की राशि को बिलों में पृथक दर्शाये जाने पर उस फ्रेट की राशि को विक्रय मूल्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इसी सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भी विभिन्न न्यायिक निर्णयों के दृष्टान्तों के साथ यह निर्णय किया गया है कि विक्रय अनुबंध के अनुसार तय की गई विक्रय मूल्य की राशि पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत है।
- 28. उक्त विवादित बिन्दु के सम्बन्ध में विधिक स्थिति पर प्रस्तुत माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का अध्ययन किया गया। उक्त निर्णयों के अध्ययन पर यह प्रकट है कि उक्त सभी निर्णयों में प्रत्येक मामले में विक्रय अनुबंध की शर्तों के आधार पर करारोपण करने के निर्णय किये गये है। इन निर्णयों में मुख्य रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 22.07.1978 का अवलम्ब लिया गया है जिसमें यह निर्णित किया गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी ''हिन्दुस्तान शुगर मिल्स'' द्वारा सीमेंट कंट्रोल ऑर्डर के कारण एक निश्चित ''विक्रय राशि'' पर माल का विक्रय किया गया है। ऐसी स्थित में उसका विक्रय मूल्य सीमेंट कंट्रोल आदेश के अनुसार तय होने के पश्चात् व्यवहारी द्वारा फ्रेट की राशि को बिल में पृथक से दर्शाये जाने मात्र से उसे विक्रय मूल्य की पूर्ण राशि से कम नहीं किया जा सकता।
- 29. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 22.07.1978 में फ्रेट के बिन्दु पर विभिन्न तरह की स्थितियों का पूर्ण विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष दिया है कि अधिनियम में दी गई विक्रय मूल्य की परिभाषा में मूल्य के दो भाग हैं, जिसका उद्धरण निम्न प्रकार किया गया है :--

"Though we are concerned in these appeals with assessments made under both Rajasthan Sales Tax Act, 1954 and Central Sales Tax Act, 1956, it would be sufficient to refer only to the provisions of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954, since the material provisions of both the Acts are identical. Section 3 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 provides that every dealer whose turnover in the previous year exceeds a certain limit shall be liable to pay tax on his taxable turn over, subject to the provisions of that Act. "Taxable turnover" is defined in section 2(s) to mean that part of the "turnover" which remain after deducting the aggregate amount of proceeds of certain categories of sales and "turnover", according to section 2(t), means "the aggregate of the amount of sale prices received or receivable by a dealer in respect of the sale or supply of goods-". The definition of 'sale price' is given in section 2(p) and according to that definition, it means:

".....the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any good, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof other than the cost of freight or delivery or the cost of installation in case where such cost is separately charged".



This definition is in two parts. The first part says that 'sale price' means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods. Here, the concept of real price or actual price retainable by the dealer is irrelevant. The test' is, what is the consideration passing from the purchaser to the dealer for the sale of the goods. It is immaterial to enquire as to how the amount of consideration is made up. whether it includes excise duty or sales tax or freight The only relevant question to ask is as to what is the amount payable by the purchaser to the dealer as consideration for the sale and not as to what is the net consideration retainable by the dealer.

निर्णय के उक्त पैरा के पश्चात् इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णयों George Oakes (Pvt.) Ltd. v. State of Madras (1961) 12 S.T.C. 476 (S.C.) एवं Dyer Meakin Breweries Ltd. v. Sales Tax Officer, Ernakulam, 27 S.T.C. (S.C.) 120 एवं D.C. Johar & Sons (P.) Ltd. v. Sales Tax Officer, Ernakulam (1971) 27 STC 120 (SC)

का हवाला देते हुए यह निर्णीत किया जाना बताया कि -

"We may then take a case where a dealer transports goods from his factory to his place of business and sells them at a price which is arrived at after taking into account 'freight and handling charges' incurred by him in transporting the goods. The amount of 'freight and handling charges' included in the price would obviously be the part of the 'sale price', because it would be payable by the purchaser to the dealer as part of the consideration for the sale of the goods. The same would be the legal position even if the 'freight and handling charges' are shown separately in the bill and added to the price of the goods, for the character of the payment would remain the same. Since 'freight and handling charges' represent expenditure incurred by the. dealer in making the goods available to the purchaser at the place of sale, they would constitute an addition to the cost of the goods to the dealer and would clearly be a component of the price charged to the purchaser. The amount of 'freight and handling charges' would he. payable by the purchaser not under any statutory or other liability 'out as part of the consideration for the sale of the goods and it would, therefore, Form part of 'sale price' within the meaning of the first part of the definition.

We may now take another example which is very much near to the one which we have already discussed. The dealer may, instead of transporting the goods from his factory or his place of business and selling them there, enter into a contract of sale F.O.R.. destination railway station. Where such a contract is made, the seller undertakes an obligation to put the goods on rail and arrange to have them carried to the destination railway station at his expense. The delivery of the goods to the purchaser in such a case is complete at the distination railway- station and till then the risk continues to remain with the dealer. The freight is payable by the dealer since he has to arrange for the goods to be carried by rail to the destination railway station at his expense and there is no obligation on the purchaser to pay the freight The purchaser is concerned only to pay the agreed price for the delivery of the goods at the destination railway station. The agreed price being inclusive of the freight, it would be a matter of indifference to the purchaser as to what is the amount of freight. Even if there is any fluctuation in the amount of freight, since the making of the contract, the purchaser would have no concern, because he is liable to pay only the agreed price which includes the freight, whatever it be. The dealer may, in such a case, pay the freight and charge the agreed price to the purchaser, or he may obtain a railway receipt on the basis of freight to pay" and request the purchaser to pay the freight at the time of taking delivery of the goods from the railway at the destination railway station and give the purchaser credit for the amount of the freight

against the agreed price. I'he latter would merely be a convenient mode of paying the agreed price. Since it is the obligation of the dealer to deliver the goods free on rail destination railway station, the dealer is liable to pay the freight s between him and the purchaser and the purchaser can very well refuse to accept the railway receipt which is not "freight pre-paid" but "freight to pay". But he may, ordinarily as a reasonable businessman he would, accept such railway receipt and pay the amount of freight on behalf of the dealer. When the purchasers pay the amount of freight in such a case, it would be; as part of the agreed price and not as freight vis-a-vis the dealer. The amount of freight paid by the purchaser and shown in the bill as deducted from the agreed price would, therefore, clearly form part of "sale price" and fall within the first part of the definition."

इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विक्रय मूल्य का अनुबंध माल की डिलीवरी क्रेता तक पहुंचाने तक होने की स्थिति में सम्पूर्ण राशि विक्रय राशि की परिभाषा के प्रथम भाग अनुसार अर्थात् Amount payable to a dealer as consideration for the sale of any goods के तहत मानी जायेगी एवं ऐसे मामलों में फ्रेट का राशि को पृथक से दर्शाने की स्थिति में भी वे टर्नओवर और विक्रय मूल्य से कम नहीं की जा सकती।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय को ही अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष में बताते हुए यह तर्क दिया है कि इस निर्णय में सीमेंट कंट्रोल आदेश के कारण पूरे विक्रय मूल्य राशि को फ्रेट सिहत विक्रय मूल्य माना था जबिक उक्त अपीलार्थी की विक्रय अनुबंधों में माल का मूल्य एवं फ्रेट की राशि को अलग बता दिया गया था। इस तर्क के सम्बन्ध में इस निर्णय का जो भाग उद्धरित किया गया है उसमें यह बताया गया है कि केवल उन मामलों में जहां पर विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी रेलवे स्टेशन तक दिये जाने की बाध्यता हो एवं उसके खर्चे क्रेता द्वारा दिया जाना अनिवार्य हो, जिसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :-

"This would plainly and indubitably be the position where the con- tract of sale entered into by the dealer is F.O.R.. destination railway station. But here it is necessary to bear in mind a rather important distinction. There may be a case where the contract of sale may not be F.O.R.. destination railway station, but the price alone may be so. Where such is the case, the contract does not have all the incidents of a F.O.R. destination railway station contract, but merely the price is stipulated on that basis. The terms of such a contract may provide that the delivery shall be complete when the goods are put on rail and thereafter It shall be at the risk of the purchaser. Such a stipulation would make the railway agent of the purchaser for taking delivery of the goods. The freight in such a case would be payable by the purchaser though the price agreed upon is F.O.R.. destination railway station. The price of the goods receivable by the dealer would, in that event, he the F.O.R.. destination railway station price less the amount of freight payable by the purchaser. That would be the consideration payable by the purchaser to the dealer for the sale of the goods and the amount of freight being payable by the purchaser would not be included in the 'sale price' within the meaning of the first part of the definition. The position would be the same even if the dealer pays the freight and obtains railway receip "freight prepaid" and claims the full F.O.R.. destination railway station price in the bill: 'The amount representing freight would not be payable as part of the consideration for the sale of the goods but by way of reimbursement of the freight which was payable by the purchaser but in fact disbursed by the dealer and hence it would not form part of the sale price'."

इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में विक्रय मूल्य में फ्रेट की राशि को सम्मिलित करते हुए अनुबंध किया गया है, उनमें विक्रय मूल्य की परिभाषा अनुसार पूरी तय राशि विक्रय मूल्य का भाग होगा एवं जिन मामलों में केवल माल की कीमत ही दर्शाई जाती है एवं माल की डिलीवरी ट्रांसपोर्टर को देने तक ही विक्रेता का दायित्व हो एवं उसके आगे की रिस्क क्रेता की होती है वहां फ्रेट की राशि पर कर आरोपित नहीं किया जा सकता। इसी तरह उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि केवलमात्र बिलों में फ्रेट की राशि को अलग दर्शाने से उस राशि को विक्रय मूल्य से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सम्पूर्ण राशि विक्रय मूल्य के रूप में लिया जाना निश्चित किया गया है।

- 31. अपील सं. 2742/2016 (625/2017), 2743/2016 (626/2017), 2738/2016 (627/2017), 2746/2016 (628/2017), 2745/2016 (634/2017) एवं 2735/2016 (635/2017) के क्रय आदेशों में Price के संबंध में यह कथन किया गया है कि Price में फ्रेट व इंश्योरेन्स शामिल है। अपील सं. 2736/2016 (629/2017), 2739/2016 (632/2017) में Price के संबंध में यह कथन किया गया है कि Price में All Inclusive है। इसी प्रकार अपील सं. 2744/2016 (631/2017) में भी फ्रेट चार्जेज को Price में शामिल बताया है। इस प्रकार इन अपीलों में क्रय आदेशों में फ्रेट व इंश्योरेन्स चार्जेज को Price में शामिल किया गया है अर्थात् क्रय आदेशों के अनुसार भी फ्रेट व इंश्योरेन्स चार्जेज को Price में शामिल किया गया है अर्थात् क्रय आदेशों के अनुसार भी फ्रेट व इंश्योरेन्स चार्जेज को Price में शामिल किया गया है अर्थात् क्रय आदेशों के अनुसार भी फ्रेट व इंश्योरेन्स चार्जेज को विक्रय मूल्य का भाग है।
- 32. अपील संख्या 2737/2016 (630/2017) कार्यादेश दिनांक 14.11.2008 में उक्त व्यवहारी द्वारा माल की कीमत एवं फ्रेट की राशि को अलग दर्शाते हुए इसका अलग अनुबंध बताया गया है परन्तु उस अनुबंध में भी यह स्पष्ट है कि क्रेता द्वारा फ्रेट की राशि सहित एक निश्चित राशि विक्रेता को चुकायी जानी है एवं केवलमात्र उस राशि को पृथक से बताया गया है जबिक वह राशि माल की डिलीवरी तक तय की हुई थी। यह टिप्पणी करना आवश्यक है कि फ्रेट की राशि को तय करते हुए उसका भुगतान किये जाने का जो आदेश बताया गया है वह यह दर्शाता है कि उक्त अपीलार्थी विक्रेत व्यवसायी को माल की डिलीवरी एक निश्चित भाड़े की प्राप्तियां करने के साथ क्रेता के स्थान तक पहुंचाई जानी थी, जिसकी समस्त रिस्क विक्रेता की ही थी, अतः इस प्रकरण में भी समस्त विक्रय राशि पर किया गया करारोपण विधिसम्मत है।
- इसी तरह अपील संख्या 2741/2016 (624/2017) की शर्तों में माल की कीमत के शिड्यूल में पूरी राशि को सम्मिलित करते हुए विक्रय मूल्य F.O.R. Destination से तय किया हुआ है जिसमें एक्साईज की राशि वैट की राशि फ्रेंट एवं इन्श्योरेंस की राशि को अलग-अलग दर्शाते हुए अंत में एक विक्रय मूल्य तय कर दिया गया जो विक्रेता को क्रेता से प्राप्त करना है। ऐसी स्थिति में यह राशि विक्रय मूल्य की परिभाषा का प्रथन भाग जिसमें अनुबंधित प्राप्तियों को प्राप्त करने वाली राशि में सम्मिलित होने से विक्रय मूल्य का ही भाग होगी एवं केवलमात्र फ्रेट अलग से लिखने मात्र से इसे अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि इस विक्रय राशि में भी सेन्ट्रल एक्साईज, वेट एवं फ्रेट को अलग बताया है जबिक सेन्ट्रल एक्साईज ड्यूटी पर स्वतः कर आरोपणीय है एवं स्वयं विक्रेता द्वारा उस पर कर आरोपित किया है। यह उल्लेखनीय है कि इस अनुबंध में भी केबल की बिक्री में प्रति किलोमीटर 1000/- रूपये फ्रेंट का अंकन किया है जो डिलीवरी देने के लिये अनुबंध किया हुआ है जिसे विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए दर्शाया गया है एवं ना ही ऐसी कोई शर्त रखी गई कि भाड़े के समस्त खर्चे क्रेता द्वारा वह किये जायेंगे, बल्कि इन अनुबंधों में भाड़े के जो भी खर्चे होते हैं, वे क्रेता से पूर्व में ही ले लेने का करार किया गया है। am

लगातार.....17

34. इसी तरह अपील संख्या 2740/2016 (633/2017) के कार्यादेश में भी माल का विक्रय मूल्य निश्चित करने के पश्चात् भाड़े को अलग से बताया गया है जबिक इस अनुबंध की सामान्य शर्तो में माल को क्रेता के स्थान तक पहुँचाने की जिम्मेदारी विक्रेता द्वारा लिखी हुई है इसमें समस्त जोखिम विक्रेता की ही दर्शाई गई है। इसी तरह उक्त तथ्यों के अधीन यह स्पष्ट है कि उक्त विक्रेता व्यवहारी द्वारा केबल का विक्रय क्रेता के डिलीवरी स्थान तक पहुँचाने के लिये पूरी राशि तय की हुई थी एवं भाड़े का भुगतान अलग से नहीं किया जाना था बल्कि वह राशि दोनों के बीच में हुए करार के अनुसार क्रेता द्वारा विक्रेता को माल के मूल्य के रूप में दिया जाना था एवं इस मूल्य में माल की राशि, एक्साईज ड्यूटी की राशि, वेट की राशि भाड़े की राशि सभी शामिल करते हुए कीमत तय की हुई थी ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से दिये गये समस्त तर्क विधि एवं न्यायिक निर्णयों के अनुकूल नहीं होने से स्वीकार योग्य नहीं है।

इसी तरह अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीर राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य निर्णयों में भी यह तथ्य प्रकट हैं कि उन मामलों में जहां पर विक्रय मूल्य फ्रेट सहित निश्चित किया हुआ नहीं है एवं विक्रेता द्वारा माल की डिलीवरी सम्बन्धी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली गयी है विक्रेता द्वारा माल की रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की ही शर्त रखी गयी है एवं समस्त भाड़े का भुगतान क्रेता द्वारा ही किया जाना था, चाहे वो भाड़े की राशि कितनी भी सीमा तक हो, वह क्रेता की जिम्मेदारी होगी उन अनुबंधों में क्रेता के फ्रेट के भुगतान करने की जिम्मेदारी को विक्रेता द्वारा पूरी की जाती है, तब विक्रेता उस भाड़े की वास्तविक राशि का पुनर्भरण प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर भाड़े की राशि विक्रय मूल्य में सिम्मिलत योग्य नहीं होती है।

- 35. उक्तानुसार इन प्रकरणों में विक्रेता अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माल के प्रत्येक विक्रय अनुबंध में विक्रय मूल्य की राशि तय की हुई थी अतः समस्त प्राप्त योग्य राशि जो क्रेता द्वारा विक्रेता को दी जानी हैं, वह विक्रय मूल्य (Sale Price) की परिभाषा के प्रथम भाग अनुसार विक्रय मूल्य का भाग होगी।
- 36. न्यायिक दृष्टांत State of Andhra Pardesh V/s A.P. Paper Mills Ltd. Judgement dated: 03-01-05 में मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

If the contract was one for delivery at the destination railway station, risk continues to be that of the seller-dealer and consequently the freight charges paid are includible in the sale price eligible to tax. If the contract is one in which delivery to the purchaser would be complete, as soon as the goods are put on rail at the place of dispatch, the risk is that of the purchaser and the freight charges incurred are not includible in the sale price exigible to tax. Of course, this is not the invariable rule in all eventualities and circumstances, e.g. goods covered by the control orders like Cement Control Order. The dealer agreed to effect delivery at the place of the buyer and that apart, it had also charges are includible the same in the invoice. Therefore the transport charges are includible in sale price.

37. न्यायिक दृष्टांत India Meters Ltd. V/s State of Tamil Nadu Judgement dated: 07-09-2010 में मानीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि –

When the transfer of the property or the goods is to be at the place of the buyer to which the seller is under n obligation to transport the goods, the expenditure incurred by the seller on freight in order to carry the goods from his place of manufacture to the place at which he is required under the contract to deliver, would thus become part of the amount for which the goods are sold by the seller to the buyer and would fall within the scope of "turnover". In this case, the obligation to pay the freight was clearly on the appellant as there was no sale at all, unless the goods were delivered at the premises of the buyer and in order to so deliver, the assessed necessarily had to incur freight charges.

em

- 38. व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इन प्रकरणों से भिन्न है क्योंकि इन प्रकरणों में FOR Destination पर माल की डिलीवरी देना, माल की Delivery तक Transit Risk विक्रेता की होना एवं माल का स्वामित्व ट्रांसपोर्टेशन के बाद हस्तान्तरण होने का तथ्य है।
- 39. उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी को क्रेता विद्युत कम्पनियों को FOR Destination पर माल की डिलीवरी देनी थी। माल की Delivery तक Transit Risk विक्रेता की ही थी। अतः उपर्युक्त समस्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगर, रखते हुए एवं सविदा की शर्तो तथा न्यायिक दृष्टांत Greaves Chitram Limited V/s State of Tamil Nadu (2003) 133 STC and State of Andhra Pradesh V/s A.P. Paper Mills Ltd. में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में माल की FOR Destination पर Delivery होने, Transit Risk अपीलार्थी के होने से, यदि कुछ प्रकरणों में Freight व बीमा में Invoice में पृथक से दर्शाया जाने के बाद भी वह विक्रय मूल्य से पृथक नहीं माना जा सकता। अतः उपर्युक्त प्रकरणों में Freight व बीमा राशि विक्रय मूल्य का भाग माना जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।
- 40. व्यवहारी के विद्धान अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त करारोपण पर ब्याज का आरोप कर निर्धारण आदेश के पश्चात् ही किया जाने का जो तर्क दिया है वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रकरण में विक्रय राशि घोषित थी परन्तु फ्रेंट की राशि को कम करते हुए कर जमा करवाया गया है जबकि उस राशि पर बिल जारी होने के पश्चात् कर जमा कराने की विधिक अनिवार्यता थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ब्याज के बिन्दु पर वा.क.अ. बनाम रस्तोगी स्टील फर्नीचर एस.बी.टैक्स रिवीजन 859 / 1999 (6 टैक्स अपडेट 313) आदेश दिनांक 24.04.2002 में ब्याज का आरोपण कर दायित्व के साथ होना निर्णित किया जा चुका है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के जे.के.सिन्थेटिक्स् (1994) 94 एसटीसी 422 की विवेचना करते हुए निर्णय दिया गया है इसी तरह माननीय राज. उच्च न्यायालय ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा बनाम ममता सर्जिकल कॉटन लि. (2011) 31 टीडीयू 313 निर्णय दिनांक 03.11.2011 में भी पुनः कर के साथ ब्याज ऑटोमेटिक आरोपणीय माना है अर्थात् कर का दायित्व जिस दिवस से प्रारम्भ होता है उसी दिन से विलम्ब पर ब्याज आरोपणीय है।
- 41. व्यवहारी के विद्धान अभिभाषक ने विकल्प के रूप में केन्द्रीय अधिनियम में फ्रेट की राशि पर करारोपण को विधिसम्मत माना जाने की परिस्थिति में उस राशि पर संबंधित बिलों के घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत होने वाले मामलों में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्रभावी कर दर से करारोपण किये जाने का अनुरोध किया है व्यवहारी का यह कथन विधिसम्मत होने से कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया जाना उचित है कि जिन मामलों में 'सी' फार्म प्रस्तुत किया गया है, उन की फ्रेट राशि पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् धारा 8(1) of CST Act में करारोपण करने हेतु समुचित आदेश पारित करें।
- 42. अब राजस्व की ओर से अधिनियम 2003 की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति के बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत अपीलों पर विचार किया जाता है। विद्धान अभिभाषक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत The cement marketing Co. of India Ltd V/s Assisstant Commissioner 1989 45 STC 197 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायाल का निर्णय ACTO V/s Kumavat Udyog 1955 97 STC 238 का अध्ययन किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय को निम्न प्रकार अवधारित किया है :-

"A return cannot be said to be"false" within the meaning of section 43 unless there is an element of deliberateness in it. It is possible that even where the incorrectness of the return is claimed to be due to want of care on the part of the assesse and there is not

om

reasonable explanation forthcoming from the assessee for such want of care, the court many, in a given case, infer deliberateness and the return may be liable to be branded as false return. But where the assessee does not include a particular item in the taxable turnover under a bona fide belief that he is not liable so to include it, it would not be right to condemn the return as a "false" return inviting imposition of penalty."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार अवधारित किया है :--

"Held accordingly, on the facts, that the Tribunal was right in holding that although the freight from B to destination formed part of the sale price of the goods in question, since the supplies were f.o.r. destination "B" and not the buyers' place, and the dealer had entered all hte particulars in its accounts but was under the impression bona fide that the freight from B onwards was not includible in the sale price, the failure to disclose the freight charges in question did not attract penalty under section 16(1) (e) of the Act."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों को दृष्टिगत रखते हुए शास्ति आरोपण को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरणों में विधिसम्मत रूप से शास्ति अपास्त की है तथा शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत एवं न्यायोचित है।

- 43. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें तथा शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार योग्य है।
- 44. फलतः व्यवहारी द्वारा कर व ब्याज के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील सं. 2735/2016 से 2746/2016 एवं शास्ति के बिन्दु पर राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 624/2017 से 635/2017 अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है। व्यवहार द्वारा विकल्प के रूप में केन्द्रीय अधिनियम में फ्रेट की राशि पर करारोपण को विधिसम्मत माना जाने की परिस्थिति में उस राशि पर संबंधित बिलों के घोषणा पत्र 'सी' प्रस्तुत होने वाले मामलों में केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(1) के तहत प्रभावी कर दर से करारोपण किये जाने का अनुरोध के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि जिन मामलों में 'सी' फार्म प्रस्तुत किये गये है, उन मामलों में फ्रेट व इंश्योरेन्स की राशि पर आवश्यक सत्यापन के पश्चात् धारा 8(1) of CST Act के अनुरूप कर दर आरोपण हेतु समुचित संशोधित आदेश पारित करें।

45. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन) सदस्य (नत्थूराम) सदस्य